



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26681-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 374 वर्ष 2026

सन्नी उर्फ शिवानन्द विश्वकर्मायाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्यप्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शिव कुमार यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : आशी कुशवाहा, अरविंद कुमार सिंह, जी.ए., हर्षित कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान एजीए, प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री हर्षित कुमार सिंह की ओर से उपस्थित श्री अरविंद कुमार सिंह को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. शुरुआत में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष बयान दिया कि वर्तमान रिट याचिका निष्प्रभावी हो गई है, अतः वे इस रिट याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. राज्य के विद्वान एजीए और प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. दिए गए बयान के आलोक में, वर्तमान रिट याचिका निष्प्रभावी हो जाने के कारण खारिज की जाती है।

6 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"